आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– pension.rajasthan.gov.in

क्रमांक :– एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/28-U दिनांक :12/06/2023

कोषाधिकारी (समस्त)
राजस्थान।

विषय :– IFMS 3.0 के अन्तर्गत अधिवार्षिकी (Superannuation) आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भ :– वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/1112–1311 दिनांक 01.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि माह जून 2023 से राज्य सरकार में अधिवार्षिकी (Superannuation) आयु से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संदर्भ में IFMS 3.0 के अन्तर्गत नवीन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस संबंध में जारी किए गए परिपत्र के अनुसार IFMS 3.0 मॉड्यूल से जारी होने वाले GPO एवं CPO की अधिकृतियों का भुगतान पेंशन विभाग के एकल आहरण–वितरण अधिकारी के स्तर पर ही किया जायेगा। परंतु, अन्य सभी GPO, CPO, PPO की अधिकृतियां जो पूर्व में ही IFPMS 2.0 के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है/जारी की जाने हेतु प्रक्रियाधीन हैं एवं कोषाधिकारियों को भुगतान हेतु प्रेषित की गई/की जानी है, के भुगतान संबंधित कोष कार्यालय द्वारा पुरानी व्यवस्था के अन्तर्गत ही किया जाना है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि IFMS 3.0 के अन्तर्गत प्रारंभ की गई प्रक्रिया केवल राज्य सरकार के विभागों में अधिवार्षिकी(Superannuation) आयु से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संदर्भ में ही है। अन्य सभी प्रकार की अधिकृतियां जो IFPMS 2.0 के अन्तर्गत अग्रिम आदेश तक जारी की जाती रहेगी, उनका भुगतान पूर्व की प्रक्रिया अनुसार ही संबंधित कोषाधिकारियों द्वारा किया जाना है।

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक